<u>बिहार सरकार</u>

<u>वित्त (अंकेक्षण) विभाग</u>

<u>बिहार पटना</u>

<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 22/11–12</u>

<u>(1) परिचयात्मक :–</u>

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला शिक्षा कार्यालय, पटना।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2009–10

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल :–

1. श्री मृगुनाथ उपाध्याय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा 4.8.08 से 31.7.09 तक
2. श्री कमल कुमार सिन्हा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा 5.8.09 से अद्यतन

(ङ) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम , पदनाम तथा कार्यालय –

1. श्रीमती किरण कुमारी जि0 शि0 पदा0, पटना। 1.4.09 से अद्यतन
2. श्री अमर कुमार सिन्हा, लिपिक 1.4.09 से अद्यतन ।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम :–

1. श्रीमती किरण कुमारी जि0 शि0 पदा0,पटना।
2. श्री अजय कुमार सिंह लिपिक

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम :–

1. श्री शशि शेखर सिन्हा व0 अं0 – 2
2. श्री अखिलेश्वर मिश्र व0 अं0 – 2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – 25.02.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 07.06.2011

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 30 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

विभागीय परिपत्र सं0 3286 दि0 15 सितम्बर 1960 में निहित अनुदेशों के आलोक में जिला शिक्षा कार्यालय, पटना द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण सम्पन्न किया गया। इस कार्यालय द्वारा वर्ष 09–10 में जमा एवं निकासी जिला कोषागार पटना से की गई थी जिसका सत्यापन शत् प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। इस कार्यालय के अन्तर्गत चार प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय संचालित था, जिसका भुगतान इसी कार्यालय के स्थापना अन्तर्गत किया गया था। वर्ष 09–10 में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान इसी कार्यालय के स्थापना अन्तर्गत किया गया था। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा अल्प संख्यक विद्यालय, मदरसा विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालयों का भी संचालन किया जाता था। जिसका भुगतान भी इस कार्यालय के माध्यम से किया जाता था। जिसका सत्यापन संगत अभिलेखों से की गई थी। पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया, फलतः पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन की लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन का सत्यापन नही किया जा सका।

(ड़) वित्तीय समीक्षा :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी ,पटना के लेखा वर्ष 09–10 तक का स्थापना मद में व्यय के साथ चार प्रोजेक्ट कन्या विद्यालयों एवं नियोजित शिक्षकों का व्यय भी सन्निहित था। जिसका आवंटन –व्यय विवरणी इस प्रतिवदेन के परिशिष्ट ''ख'' एवं ''ग'' पर वर्णित है।

इस कार्यालय अन्तर्गत 12 संस्कृत विद्यालयों 18 अल्प संख्यक विद्यालयों तथा 05 मदरसा विद्यालयों का संचालन होता था।

निदेशक माध्यमिक, मानव संसाधन विकास विभाग से आवंटन प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसा विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों से प्राप्त वेतन विपत्र इस

कार्यालय द्वारा पारित किया जाता था एवं पारित विपत्र का संबंधित विद्यालय के कर्मियों का बैंक में लेखा संख्या के आधार पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक के नाम से पारित

विपत्र का बैंक ड्राफ्ट बनबाया जाता था एवं विद्यालय के माध्यम से संबंधित बैंक में बी0 डी0 को जमा कराकर उनके निकटतम बैंक में खाता के माध्यम से भुगतान होता था।

नियोजित शिक्षक :–

निदेशक, माध्यमिक, मानव संसाधन विकास विभाग से आवंटन प्राप्त होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर संबंधित इकाई के खाता में हस्तान्तरित कर दिया जाता था। हस्तांतरण के पश्चात् विद्यालयों द्वारा प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर नियोजित शिक्षकों के खाते में संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक के नाम से चेक जारी किया जाता था। जो सभी शिक्षकों के खाते में राशि हस्तांतरित किया जाता था। फलस्वरूप बैंक द्वारा एक निर्धारित राशि बैंक कमीशन के रूप में शिक्षकों के खाते से काट लिया जाता था।

अतः नियोजित शिक्षकों के वेतन की राशि सीधे हस्तांतरित किया जाय, ताकि उनके खाते से कमीशन के रूप में बैंक कमीशन की राशि की कटौती न हो। शिक्षा विभाग एवं प्रशासी विभाग का ध्यान उर्पयुक्त प्रक्रियाओं में सुधार हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 09–10 में संवरण शेष की विवरणी

रोकड़ पुस्त में दर्ज वर्ष 2009–10 की संवरण शेष की स्थिति निम्नवत् पायी गई :–

दिनांक

1.4.2009 का प्रारभ्भण शेष रू0 197811.42

31.03.2010 का संवरण शेष रू0 197811.42

भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 503 दिनांक 29.01.76 में निहित निदेश के आलोक में अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि 25.02.11 को रोकड़ पंजी में दर्ज संवरण शेष का भौतिक सत्यापन क्रम में संवरण शेष की राशि निम्नवत पायी गई।

1. बैंक में जमा सुरक्षित राशि	–	500.00
2. पुराना बैंक ड्राफ्ट	–	54558.42
3. व्यवहारिक परीक्षा	–	7512.00

4. वर्ष 2000–01 का प्रोजेक्ट की राशि – 7303.00
5. वर्ष 2001–02 का प्रोजेक्ट की राशि – 57822.00
6. महामहिम राष्ट्रपति के बिहार दर्शन की राशि – 58750.00
7. सर्वेक्षण कार्य से सम्बन्धित राशि – 150.00
8. नंदिता मिश्रा को भुगतान नही होने के कारण – 11216.00

कुल रू0 – 197811.42

रू0 197811.42 का अव्यवहृत राशि रखे जाने के सम्बन्ध में विस्तृत आपत्ति आगे की कंडिका में की गयी है।

स्वीकृत, बल कार्यरत बल एवं रिक्त पद की स्थिति :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी	01	01	
2	लिपिक	09	09	
3	आंशुलिपिक	01	01	
4	सांख्यिकी	01	01	
5	जीप चालक	01	01	
6	आदेशपाल	04	04	
	कुल –	17	17	शून्य

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के नियंत्रणाधीन स्कूलों की संख्या निम्नवत् है।

1. राजकीयकृत विद्यालय – 168
2. राजकीय विद्यालय – 21
3. अलपंसख्यक विद्यालय – 18
4. मदरसा विद्यालय – 05
5. संस्कृत विद्यालय – 12

भाग – 1

(2) मकान भाड़ा मद में रू0 28.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

वर्ष 09–10 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री देवानन्द प्रसाद सिंह, लिपिक जिला शिक्षा किार्यालय , पटना का वेतन माह मार्च 09 से जून 09 तक मूल वेतन रू0 19350.00 पर 15 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता रू0 2903.00 की जगह रू0 2930.00 का भुगतान किया हुआ पाया गया। इस प्रकार उक्त 4 माहों में (2930–2903) = 27X4 = रू0 108.00 का अधिक भुगतान किया हुआ पाया गया।

अंकेक्षण आपत्ति संख्या ''1'' के आलोक में इनके वेतन विपत्र संख्या 07/27.04.11 अप्रिल 2011 के वेतन से रू0 80.00 की वसूली की गई जिसे सत्यापन कर लिया गया। निर्गत आपत्ति सं0 1 दि0 16.6.11 के आलोक में अधिक भुगतीत लिया गया राशि रू0 (108–80)=रू0 28.00 संबंधित कर्मचारी से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(3) आकस्मिक मद में रू0 10700.00 का व्यय आपत्तिअर्न्तगत :–

आकस्मिक व्यय से सम्बन्धित अभिश्रवों की जाँच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि कुल रूपये 10700.00 का व्यय नव साक्षर महिलाओं को पुरस्कार हेतु वितरित सामग्री के क्रय हेतु किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' पर द्रष्टव्य ।

भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी को अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया जा सका अतः भंडार अवशेष एवं वितरण की जाँच नही की जा सकी।

उक्त तथ्यों के आलोक में सामग्रियों का क्रय एवं वितरण की सत्यता की जाँच नही की जा सकी। इस ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि सामग्रियों का क्रय बिहार वित्त नियमावली भाग–2 का परिशिष्ट –8 में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

अतः उक्त प्रावधानों की अनदेखी करने के कारण रू0 10700.00 का व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है विभागीय स्तर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच कर ली जाय एवं वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय तब तक के रू0 10700.00 का व्यय आपत्तिन्तर्गत रखा

जाता है। अगर जाँच में अन्यथा की स्थिति पायी जाती है तो विधि सम्मत कारवाई उत्तरदायी व्यक्ति पर की जाय।

(4) आकस्मिक मद में 8745.00 का व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

आकस्मिक व्यय से सम्बन्धित अभिश्रवों की जाँच संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि कुल रू0 8745.00 का व्यय किया गया था। जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ड'' पर द्रष्टव्य ।

अभिश्रव के जाँच क्रम में पाया गया कि कार्यालय द्वारा कुल सामाग्रियों को आकस्मिकता मद से निकासी कर विचलन कर किया गया जो अनियमित है। इस ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान विचलन की गई राशि को नियमित कराने हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। तब तक विचलन कर व्यय किये गये राशि रू0 8745.00 आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है। विभागीय स्तर पर किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच करायी जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(5) रू0 143214000.00 का डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार को भेजने का सुझाव :–

(क) रू0 4050000.00 का डी0 सी0 विपत्र अप्रेषित–

वर्ष 09–10 के लेखा के जाँचक्रम में पाया गया कि निम्नलिखित मद ए0 सी0 विपत्र द्वारा राशि की निकासी की गई थी।

क्रमांक	विपत्र संख्या एवं वर्ष	मद का नाम	व्यय की तिथि	व्यय की गई राशि
1	296 / 09–10	उपस्कर	29.3.2010	1950000.00
2	297 / 09–10	प्रयोगशाला	29.3.2010	900000.00
3	300 / 09–10	खेल सामग्री	29.3.2010	600000.00
4	298 / 09–10	पुस्तकालय	29.3.2010	600000.00

कुल – 4050000.00

परन्तु इससे सम्बन्धित डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की हुई नही पायी गई। कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 320 के अनुसार ए0 सी0 विपत्र से व्यय होने पर

स्वीकृत्यादेश की तिथि से एक साल के अन्दर डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार को प्रेषित कर देना है।

इस ओर वरीय पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि रू0 4050000.00 के निकासी का डी0 सी0 विपत्र तैयार कर महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित किया जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

(ख) 120964000.00 का डी0 सी0 विपत्र अप्रेषित :–

वर्ष 09–10 के लेखा के जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित मद में ए0 सी0 विपत्र द्वारा राशि की निकासी की गई थी।

क्रमांक	विपत्र संख्या एवं वर्ष	मद का नाम	व्यय की तिथि	व्यय की गई राशि
1	67 / 09–10	साइकिल (बालिका)	30.11.09	48200000.00
2	182 / 09–10	साइकिल (बालक)	2.02.10	71694000.00
3	147 / 09–10	शैक्षणिक परिभ्रमण	16.03.10	1070000.00

कुल – 120964000.00

परन्तु इससे सम्बन्धित रू0 120964000.00 का डी0 सी0 विपत्र महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित की हुई नही पायी गई। जबकि बिहार कोषागार (संहिता भाग–1) के नियम 320 के अनुसार ए0 सी0 विपत्र के व्यय होने पर स्वीकृत्यादेश की तिथि से एक साल के अन्दर डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार को प्रेषित कर देना है।

अतः इस ओर वरीय पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि रू0 120964000.00 के निकासी का डी0 सी0 विपत्र तैयार कर महालेखाकर कार्यालय बिहार, पटना को प्रेषित किया जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए।

(ग) 13000000.00 का डी0 सी0 विपत्र अप्रेषित :–

वर्ष 09–10 के लेखा के जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित मद में ए0 सी0 विपत्र द्वारा राशि की निकासी की गई थी।

क्रमांक	विपत्र संख्या एवं वर्ष	मद का नाम	स्कूल का नाम	व्यय की तिथि	व्यय की गई राशि
1	299/09–10	भवन निर्माण	उच्च विद्यालय समयगढ़	29.03.10	2600000.00
2	299/09–10	भवन निर्माण	डा0 जाकिर हुसैन उच्च विद्यालय सुलतान गंज	29.03.10	2600000.00
3	299/09–10	भवन निर्माण	उच्च विद्यालय कोरारी जोधन	29.03.10	2600000.00
4	299/09–10	भवन निर्माण	आर्दश उच्च विद्यालय पलंगा	29.03.10	2600000.00
5	299/09–10	भवन निर्माण	राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, जलला	29.03.10	2600000.00

कुल – 13000000.00

परन्तु इससे सम्बन्धित डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार को प्रेषित की हुई नही पाई गई। जबकि बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 320 के अनुसार ए0 सी0 विपत्र के व्यय होने पर स्वीकृत्यादेश की तिथि से एक साल के अन्दर डी0 सी0 विपत्र महालेखाकर को प्रेषित कर देना था।

अतः इस ओर वरीय पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि रू0 13000000.00 के निकासी का डी0 सी0 विपत्र तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

(घ) 5200000.00 का डी0 सी0 विपत्र अप्रेषित :–

वर्ष 09–10 के लेखा की जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित मद में ए0 सी0 विपत्र द्वारा राशि की निकासी की गई थी।

क्रमांक	विपत्र संख्या एवं वर्ष	मद का नाम	स्कूल का नाम	व्यय की तिथि	व्यय की गई राशि
1	255/09–10	भवन निर्माण	ग्रामीण उच्च विद्यालय चक वैरिया	31.03.10	1300000.00
2	255/09–10	भवन निर्माण	उच्च विद्यालय अकौना पटना	31.03.10	1300000.00
3	255/09–10	भवन निर्माण	उच्च विद्यालय सिंकदरा	31.03.10	1300000.00
4	255/09–10	भवन निर्माण	उच्च विद्यालय सिगरियांवा	31.03.10	1300000.00

कुल – 5200000.00

परन्तु इससे सम्बन्धित डी0 सी0 विपत्र महालेखाकर को प्रेषित नही पायी गई। जबकि बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 320 के अनुसार ए0 सी0 विपत्र के व्यय होने पर स्वीकृत्यादेश की तिथि से एक साल के अन्दर डी0 सी0 विपत्र महालेखाकर को प्रेषित कर देना था।

इस प्रकार उप कंडिका (क) की राशि 4050000 (ख) की राशि 120964000.00 (ग) की राशि 13000000.00 एवं 'घ' की राशि 5200000.00 कुल 143214000.00 ए0 सी0 विपत्र पर निकासी की गई थी, जिसे ससमय डी0 सी0 विपत्र बनाकर महालेखाकर को भेजा नही गया था। अतः अंकेक्षण को सुझाव है कि डी0 सी0 विपत्र बनाकर महालेखाकर को प्रेषित कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

भाग –2

(6) रू0 197311.42 को कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

सामान्य रोकड़ पुस्त की जाँच एवं दिनांक 25.02.11 को रोकड़ का भौतिक सत्यापन करने के क्रम में पाया गया कि वर्ष 09–10 एवं पूर्व से ही विभिन्न स्रोतो से प्राप्त राशि रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में अव्यवहृत रूप से पड़ा हुआ था। उक्त विवरण में रू0 54558.42 का कालातीत बैंक ड्राफ्ट भी शामिल था। अंकेक्षण का सुझाव है कि सामान्य रोकड़ पुस्त में अव्यवहृत राशि कुल रू0 197311.42 एवं कालातीत बैंक ड्राफ्ट को पुर्नजीवित कर कोषागार में जमा किया जाय तत्सम्बन्धी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

सम्पूर्ण विवरण निम्नरूपेण है –

1.	पुराना बैक ड्राफ्ट	–	54558.42
2.	व्यवहारिक परीक्षा	–	7512.00
3.	वर्ष 2000–01 का प्रोजेक्ट की राशि	–	7303.00
4.	वर्ष 2001–02 का प्रोजेक्ट की राशि	–	57822.00
5.	महामहिम राष्ट्रपति के बिहार दर्शन की राशि	–	58750.00
6.	सर्वेक्षण कार्य से सम्बन्धित राशि	–	150.00
7.	नंदिता मिश्रा को भुगतान नही होने के कारण	–	11216.00
		कुल –	197311.42

(7) अंकेक्षण के दृष्टांत पर वेतन मद (म0 भ0) में रू0 28.00 वसूली :–

वर्ष 09–10 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच क्रम में पाया गया कि श्री देवानन्द प्रसाद सिंह लिपिक जिला शिक्षा कार्यालय का वेतन माह मार्च 09 से जून 09 तक मूल वेतन रू0 19350.00 पर मकान किराया भत्ता रू0 2903.00 की जगह रू0 2930.00 का भुगतान किया गया था। इस तरह 4 माह में 2930–2903 =27X4 = 108.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति संख्या ''1'' दि0 23.03.11 के आलोक में विपत्र संख्या 07/27.04.11 माह अप्रील 2011 के वेतन से रू0 80.00 की वूसली किया गया जिसका सत्यापन अंकेक्षण दल द्वारा कर ली गई।

(8) अंकेक्षण के दृष्टांत पर आकस्मिक अभिश्रव की राशि 100.00 कोषागार में जमा :–

आकस्मिक अभिश्रव एवं आकस्मिक पंजी वर्ष 09–10 के जाँच में पाया गया कि विपत्र संख्या 295/09–10 एवं अभिश्रव संख्या शून्य /दि0 13.02.10 के द्वारा दि0 10.02.2010 से 16. 02.2010 तक गाँधी मैदान में आयोजित नारी शक्ति उत्सव में नवसाक्षर महिलाओं एवं अक्षरदूतों की प्रतियोगिता हेतु देय यात्रा भत्ता से सम्बन्धित अभिश्रवों पर अनुपस्थित अंकित रहने के बावजूद बेबी देवी को रू0 100.00 का गलत भुगतान किया गया था।

रू0 100.00 का गलत भुगतान से सम्बन्धित निर्गत आपर्त्ति के अनुपालन में चालान संख्या 250 दि0 21.05.11 द्वारा रू0 100.00 वसूली कर कोषागार में जमा किया गया जिसे सत्यापन कर लिया गया।

(9) भंडार पंजी का संधारण :—

(1) भंडार पंजी में क्रीत सामग्रियों को अंकित करना एवं भंडार पंजी के पृष्ट संख्या का संदर्भ अभिश्रव पर अंकित करना चाहिए तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र दर्ज करना आवश्यक होता है कि आपूर्त्ति —प्राप्त सामग्री की गुणवता एवं सही मात्रा ही प्राप्त किया गया हो।

(2) विभिन्न सामग्रियों के लिए भंडार पंजी में अलग—अलग पृष्ट संधारित कर उसकी प्राप्ति की मात्रा एवं निर्गत किये जाने की मात्रा भंडार पंजी में अंकित किया जाना चाहिए।

(3) कार्यालय प्रधान/पदाधिकारी या उनके प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है एवं तत्संबंधी प्रमाण—पत्र भंडार पंजी पर अंकित करना चाहिए। परन्तु वर्ष में एक बार भी भौतिक सत्यापन नही किया गया, जो बिहार वित्तीय नियमावली भाग—1 के नियम 143 के प्रतिकूल है।

(4) दो प्रकार का भंडार पंजी संधारित किया जाना चाहिए :—

(क) अस्थायी भंडार पंजी — दैनिक उपयोग की सामग्रीयों के लिए।

(ख) स्थायी भंडार पंजी — फर्नीचर, पंखे, अलमीरा आदी स्थायी सामग्रियों के लिए।

लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता वरीय अंकेक्षक—2

(2)

" NISHU''

<u>परिशिष्ट "क" कंडिका 1(ट)</u>

<u>प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :– वर्ष 2009–10</u>

1. रोकड़ पंजी
2. विपत्र पंजी
3. वेतन भुगतान पंजी
4. प्रोजेक्ट विद्यालयों (4) का वेतन भुगतान पंजी
5. चालान पंजी
6. आवंटन एवं व्यय पंजी
7. आकस्मिक पंजी
8. आकस्मिक अभिश्रव की रक्षित संचिका
9. पूर्व का बैंक ड्राफ्ट ,चेक बुक
10. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रति
11. अल्प संख्यक विद्यालय का वेतन भुगतान पंजी
12. मदरसा विद्यालय का वेतन भुगतान पंजी
13. संस्कृत विद्यालय का वेतन भुगतान पंजी

<u>अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :– वर्ष 2009–10</u>

1. सेवा पुस्त
2. भंडार पंजी
3. स्थायी भंडार पंजी

परिशिष्ट 'ख' कंडिका 1 से संबंधित

आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2009–10

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आंवटन	कुल व्यय	बचत	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक वेतनादि	56244524.00	56182379.00	62151.00	62151.00	पत्रांक – 539 / 31.03.10
2	संस्कृत वेतनादि	9221900.00	6982340.00	2239560.00	2239560.00	पत्रांक – 540 / 31.03.10
3	नगर निगम माध्यमिक नियोजित (नियत वेतन)	18870000.00	17862000.00	1008000.00	1008000.00	पत्रांक – 110–531 / 31.03.10
4	नगर निगम उच्च माध्यमिक (नियोजित) नियत वेतन	11844000.00	10248000.00	1596000.00	1596000.00	पत्रांक – 531 / 31.03.10
5	जिला परिषद माध्यमिक (नियोजित) नियत वेतन	32370000.00	29629200.00	2740800.00	2740800.00	पत्रांक – 531 / 31.03.10
6	जिला परिषद उच्च माध्यमिक (नियोजित) नियत वेतन	1176000.00	10080000.00	168000.00	168000.00	पत्रांक – 531 / 31.03.10
7	नगर परिषद उच्च माध्यमिक (नियोजित) नियत वेतन	1764000.00	1680000.00	84000.00	84000.00	पत्रांक – 531 / 31.03.10
8	नगर परिषद माध्यमिक (नियोजित) नियत वेतन	3150000.00	2893000.00	257000.00	257000.00	पत्रांक – 531 / 31.03.10
9	नगर पंचायत माध्यमिक (नियोजित) नियत वेतन	3168000.00	2448000.00	720000.00	720000.00	पत्रांक – 531 / 31.03.10
10	नगर पंचायत उच्च माध्यमिक (नियोजित) नियत वेतन	840000.00	–	840000.00	840000.00	पत्रांक – 531 / 31.03.10
11	मदरसा वेतनादि	2475567.00	2001134.00	474433.00	474433.00	पत्रांक – 538 / 31.03.10

परिशिष्ट 'ग' कंडिका –1 (ड) से संबंधित

स्थापना मद का आंवटन एवं व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2009–10

<u>जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना स्थापना मद में प्राप्त राशि एवं व्यय के उपरांत प्रत्यर्पित राशि का विवरण :–</u>

क्र0	मद का नाम	कुल प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि	प्रत्यार्पित राशि	अप्राप्त
1	वेतनादि	4079900.00	4065776.00	14124.00	‘‘
2	यात्रा भत्ता	8000.00	6314.00	1686.00	‘‘
3	कार्यालय व्यय	100200.00	48229.00	51971.00	‘‘

परिशिष्ट “घ” कंडिका – 3

क्र0	विपत्र संख्या एवं	निकासी की तिथि	अभिश्रव संख्या	क्रय की तिथि	कहाँ से क्रय	सामग्री का नाम	दर	संख्या	राशि

	वर्ष								
1	295/09–10	31.03.2010	शून्य	12.02.10	मेसर्स बिहार स्टोर, खजाँची रोड पटना	बाल सेट बड़ा	340.00	5	1700.00
2	295/09–10	31.03.2010	शून्य	12.02.10	मेसर्स बिहार स्टोर, खजाँची रोड पटना	बाल सेट छोटा	240.00	5	1200.00
3	295/09–10	31.03.2010	शून्य	12.02.10	मेसर्स बिहार स्टोर, खजाँची रोड पटना	शर्बत सेट	200.00	5	1000.00
4	295/09–10	31.03.2010	शून्य	12.02.10	मेसर्स बिहार स्टोर, खजाँची रोड पटना	कप सेट	150.00	15	2250.00
5	295/09–10	31.03.2010	शून्य	12.02.10	मेसर्स बिहार स्टोर, खजाँची रोड पटना	शौप केस	18.00	100	1800.00
6	295/09–10	31.03.2010	शून्य	12.02.10	मेसर्स बिहार स्टोर, खजाँची रोड पटना	पेन	5.00	200	1000.00
7	295/09–10	31.03.2010	शून्य	9.02.10	मेसर्स कलाकार सिंगज, एस0 पी0 वर्मा रोड, पटना	फाइलेक्स	दर अंकित नही	2	800.00
8	295/09–10	31.03.2010	शून्य	10.02.10	मेसर्स कोहली स्पोर्स, बाकरगंज पटना	प्ले कप	200.00	2	400.00
9	295/09–10	31.03.2010	शून्य	10.02.10	मेसर्स कोहली स्पोर्स, बाकरगंज पटना	प्ले कप	125.00	2	250.00
10	295/09–10	31.03.2010	शून्य	10.02.10	मेसर्स कोहली स्पोर्स, बाकरगंज पटना	प्ले कप	150.00	2	300.00
								कुल रू0–	10700.00

परिशिष्ट 'ड़' कंडिका –04 से संबंधित

क्र0	विपत्र सं0 एवं वर्ष	अभिश्रव संख्या	व्यय की तिथि	क्रय की तिथि	दुकान का नाम	सामग्री का नाम	दर	संख्या	राशि
1	295 / 09–10	शून्य	31.3.10	13.02.10	तृप्ति	लंच	30.00	250	7500.00

					स्वीट्स	पैकेट		पैकेट	
2	295 ⁄ 09—10	शून्य	31.3.10	13.02.10	अंकित नही	मिनरल वाटर	13.00	15	195.00
3	295 ⁄ 09—10	शून्य	31.3.10	अंकित नही	अंकित नही	अल्पाहार	25.00	अंकित नही	1050.00
								कुल	8745.00